न्यायालयः अपर सैशन न्यायाधीश, क्रम-2, हिण्डौनसिटी, जिला करौली।

पीठासीन अधिकारी **: सुमरथ लाल मीना,** आर.जे.एस. (जिला न्यायाधीश संवर्ग)

विविध फौजदारी प्रकरण संख्या (CIS) 409/2026

टीकाराम पुत्र गोपाल उम्र करीब 35 साल निवासी सिंघान पुलिस थाना सदर हिण्डौनसिटी जिला करौली। ––प्रार्थी/अभियुक्त

बनाम्

राजस्थान सरकार ––––अप्रार्थी

जमानत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 483 बीएनएसएस,
प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 240/26, पुलिस थाना सदर हिण्डौन,
अंतर्गत धारा 4/25 आर्म्स एक्ट

उपस्थितः
अधिवक्ता श्री संतोष कुमार मुदगल, प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से।
अपर लोक अभियोजक श्री जितेन्द्र खैमरिया, राज्य की ओर से।

आदेश **दिनांकः 06.06.2026**

1. प्रार्थी–अभियुक्त की ओर से जमानत का यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 483 बीएनएसएस जरिए अधिवक्ता प्रस्तुत किया, जिसकी नकल विद्वान अपर लोक अभियोजक को दिलाई गई, जिन्होंने केस डायरी मय तथ्यात्मक रिपोर्ट पेश की।

2. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि दिनांक 27.05.26 को हेमराज स.उ.नि. मय जाब्ता के मुखबिर की इत्तला पर सांकेतिक स्थान दुघाटी रोड तेली की पसेरी पहुंचा जहां मुखबिर के बताए हुलिए का एक व्यक्ति घूमता नजर आया जिसे जाब्ता की मदद से पकडकर नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम टीकाराम पुत्र गोपाल होना बताया और उसकी तलाशी लेने पर उसके पेंट की दांई आंट में एक लोहे का धारदार छुरा मिला, जिसे अपने कब्जे में रखने व लाने ले जाने बाबत उसने अपने पास कोई वैध अनुज्ञापत्र नहीं होना बताया। तदुपरांत उक्त छुरे को नियमानुसार जब्त किया जाकर अभियुक्त को मौके पर गिरफ्तार किया गया और थाना वापसी पर मु.नं.240/26 अंतर्गत धारा 4/25 आर्म्स एक्ट में दर्ज कर अनुसंधान किया गया तथा गिरफ्तारशुदा अभियुक्त को सक्षम न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। जहां से अभियुक्त को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया। तत्पश्चात प्रार्थी–अभियुक्त की ओर से पेश किया गया धारा 480 बी.एन.एस.एस. का जमानत आवेदन अधीनस्थ न्यायालय अति. न्यायिक मजिस्ट्रेट, क्रम–1, हिण्डौनसिटी द्वारा दिनांक 02.06.26 को खारिज किया गया। जिससे व्यथित होकर हस्तगत जमानत आवेदन पेश किया गया है।

3. बहस के दौरान विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा इस आशय का निवेदन किया गया है कि प्रार्थी निर्दोष हैं, आरोप नितान्त रूप से झूंठा एवं फर्जी है। प्रार्थी से कोई बरामदगी नहीं हुई है, झूंठी बरामदगी दिखाई है। प्रकरण ट्रायल बाई मजिस्ट्रेट है। प्रकरण के न्यायिक निस्तारण में समय लगने की संभावना है, तब तक की लम्बी अवधि के लिए प्रार्थी को न्यायिक

अभिरक्षा में रखा जाना न्यायोचित नहीं है। प्रार्थी न्यायालय के आदेशानुसार माकूल जमानत पेश करने को तैयार है। अतः उसे जमानत की सुविधा का लाभ दिया जावे।

4. इसके विपरीत विद्वान अपर लोक अभियोजक ने प्रार्थी–अभियुक्त का जमानत आवेदन खारिज करने का निवेदन किया।

5. प्रार्थी–अभियुक्त के विरूद्ध निम्न आपराधिक प्रकरण दर्ज रहे है–

क्रम सं0	मुकदमा नंबर	धारा	नतीजा	थाना
01	636/06	379 भा.दं.सं.	चार्जशीट नंबर 345/23.09.06	दौसा
02	254/07	379 भा.दं.सं.	चार्जशीट नंबर 150/11.04.07	हिण्डौनसिटी
03	136/07	3/25 आर्म्स एक्ट	चार्जशीट नंबर 117/13.09.07	श्रीमहावीरजी
04	57/08	382 भा.दं.सं. व 3/25 आर्म्स एक्ट	–	वजीरपुर
05	236/08	379 भा.दं.सं.	चार्जशीट नंबर 237/15.06.08	हिण्डौनसिटी
06	589/08	379 भा.दं.सं.	चार्जशीट नंबर 05/23.01.09	गंगापुरसिटी
07	317/09	379 भा.दं.सं.	चार्जशीट नंबर 145/31.07.09	जवाहर सर्किल जयपुर
08	820/09	379 भा.दं.सं.	चार्जशीट नंबर 365/19.12.09	कोतवाली दौसा
09	276/09	379, 411 भा.दं.सं.	चार्जशीट नंबर 175/31.08.09	सदर करौली
10	409/09	379 भा.दं.सं.	चार्जशीट नंबर 26/27.02.10	बजाज नगर जयपुर
11	753/09	323, 379, 394, 34 भा.दं.सं. व 3/25 आर्म्स एक्ट	चार्जशीट नंबर 06/20.01.10	बांदीकुई
12	755/09	143, 323, 452, 384 भा.दं.सं.	चार्जशीट नंबर 07/23.01.10	बांदीकुई
13	86/25	13 आरपीजीओ	चार्जशीट नंबर 36/07.04.25	सदर हिण्डौन
14	64/24	13 आरपीजीओ	चार्जशीट नंबर 37/29.02.24	सूरौठ
15	254/22	323, 341, 379 भा.दं.सं. व 3 एससी/एसटी एक्ट	चार्जशीट नंबर 343/25.11.22	कोतवाली हिण्डौन

6. उभय पक्षों के तर्कों पर मनन किया गया। केस डायरी का अवलोकन किया गया। हालांकि प्रार्थी–अभियुक्त के कब्जे से एक लोहे का धारदार छुरा जिसके फल की लंबाई 20 सेमी. है, बरामद किए जाने से धारा 4/25 आर्म्स एक्ट के आरोप प्रमाणित पाया जाना दर्शाया गया है। किंतु प्रार्थी/अभियुक्त से अब कोई बरामदगी शेष नहीं है और वह दिनांक 27.05.26 से पुलिस/न्यायिक अभिरक्षा में है। मामला प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है। यद्यपि प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध आयुध अधिनियम के ही तीन अन्य आपराधिक प्रकरण दर्ज होना बताया गया है, किंतु वे वर्ष 2007 से 2009 तक के रहे हैं। उक्त प्रकरणों एवं हस्तगत प्रकरण के मध्य लगभग 17 वर्ष का लंबा अंतराल है। इस अवधि के दौरान अभियुक्त के विरुद्ध समान प्रकृति का कोई अन्य प्रकरण दर्ज होना दर्शित नहीं होता। प्रथमदृष्टया हस्तगत प्रकरण को पूर्व प्रकरणों के संबंध में निरंतर पुनरावृत्ति नहीं कहा जा सकता। यद्यपि हस्तगत आरोप समान प्रकृति का है, किंतु पूर्ववर्ती प्रकरणों की अत्यधिक पुरानी प्रकृति तथा उनके बाद लंबे समय तक किसी समान अपराध का अभाव के अनुक्रम में अभियुक्त को केवल उसके पुराने आपराधिक इतिहास के आधार पर जमानत के लाभ से वंचित रखा जाना उचित प्रकट नहीं होता है। विशेषतः जब उससे कोई अन्य बरामदगी शेष नहीं है और वह दिनांक 27.05.2026 से अभिरक्षा में है तथा अपराध मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है। प्रकरण की अन्वीक्षा में समय लगने की संभावना से इंकार नहीं

किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में हस्तगत प्रकरण के तथ्य व परिस्थितियों को देखते हुए प्रकरण के गुणावगुण पर कोई टिप्पणी व्यक्त किए बिना प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

7. अतः प्रार्थी/अभियुक्त **टीकाराम** की ओर से पेश किया गया यह जमानत आवेदन अंतर्गत धारा 483 बीएनएसएस स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि यदि प्रार्थी–अभियुक्त पच्चीस–पच्चीस हजार रूपये की दो जमानत व पचास हजार रूपये का स्वयं का मुचलका संबंधित न्यायालय की संतुष्टि का इन शर्तो के साथ पेश कर तस्दीक करा देवे कि वह अपराध की पुनरावृत्ति नहीं करेगा, न्यायालय के समक्ष असालतन–वकालतन उपस्थित आता रहेगा, गवाहों पर कोई विपरीत दबाब नहीं बनाएगा, तो अन्य किसी प्रकरण में वांछित नहीं होने पर उसे हस्तगत प्रकरण में जमानत पर रिहा कर दिया जाए।

8. प्रार्थी/अभियुक्त रिहा होने के पश्चात् विचारण के दौरान अगर समान प्रकृति का अपराध कारित करने एवं आपराधिक गतिविधियों में लिप्त पाया जाता है तो अभियोजन/परिवादी पक्ष न्यायालय में प्रार्थी–अभियुक्त की जमानत निरस्त कराने बाबत आवेदन करने को स्वतंत्र होगा।

(**सुमरथ लाल मीना**)

9. आदेश आज दिनांक 06.06.2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया व हस्ताक्षरित किया गया।

(**सुमरथ लाल मीना**)